दिनांक 21.9.2005 परिवाद सं0 02/17/2520

खण्डपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन0के0 जैन – अध्यक्ष
माननीय श्री धर्म सिंह मीणा – सदस्य

परिवाद खण्ड़पीठ के समक्ष पेश हुआ, जिसका अवलोकन किया गया। परिवाद सचिव, लोक संपति संरक्षण समिति द्वारा समाचार पत्र की कटिंग लेकर इस आशय का प्रस्तुत किया कि जयपुर शहर में बढ़ते ध्वबनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियंत्रित किया जाये।

आयोग द्वारा इसमें प्रसंज्ञान लेते हुये परिवाद की प्रति सदस्य सचिव, राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल को प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके जवाब में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.10.03 में बताया कि ध्वनि प्रदूषण रेगूलेशन एवं कण्ट्रोल नियम, 2000 के अनुसार " ध्वनि प्रदूषपण" रोकने एवं उस पर नियंत्रण करने के अधिकार जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कमिश्नर अथवा उनके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारियों को होता है। रिपोर्ट में बताया है कि इस बाबत जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा उक्त नियम की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जयपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को निषेध किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं तथा उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश सभी थानाधिकारियों को दे दिये गये हैं।

पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य सामने आया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.1.01 द्वारा सभी जिला मजिस्ट्रेटों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय सं0 732/2000 की पालना सुनिश्चित कराने हेतु लिख दिया गया । अब किसके द्वारा एवं, कहॉ इसका उल्लघंन हो रहा है यह तथ्य सामने आने पर ही संबन्धित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किया जाना संभव है, अन्यथा आम निर्देश किसी को भी नहीं दिये जा सकते एवं न ही इस हेतु आयोग सक्षम है।

फिर भी परिवाद संस्था द्वारा यह शिकायत समाचार पत्र में छपी खबरों के आधार पर की गयी है तथा संस्था भी पंजीकृत नहीं है। चूँकि यह आयोग स्वप्रेरणा से भी ऐसे मामलों में प्रसंज्ञान ले सकता है जो मानव अधिकरों के हनन के संबन्ध में हो।

यह शिकायत ध्वनि प्रदूषण के संबन्ध में थी, जिसका प्रभाव आम जनता पर होता है, अतः आयोग द्वारा इसमें प्रसंज्ञान लेकर अन्तिम कार्रवाई की गयी है।

आयोग ने उक्त जॉच रिपोर्ट से सहमत होते हुये इस परिवाद का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 18.2.03 द्वारा कर दिया गया था एवं परिवादी संस्था को भी सूचित कर दिया गया था।

पुनः दिनांक 9.4.03 को परिवादी संस्था द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुये बताया गया कि स्वप्रेरणा से कलेक्टर एवं अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जुर्माना आदि नहीं करते हैं एवं इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है।

आयोग द्वारा पुनः इस बाबत जिला कलेक्टर, जयपुर एवं राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल से जॉच रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके जवाब में जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5.6.03 द्वारा आयोग को बताया कि नियमों का उल्लघंन करने के फलस्वरूप वर्ष 2000 में 40, वर्ष 2001 में 55, वर्ष 2002 में 91 एवं वर्ष 2003 में अब तक 15 प्रकरणों में चालान किये जाकर न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये हैं। आयोग की कार्रवाई दिनांक 30.6.03 में यह विस्तृत रूप से भी दर्शाया गया है कि दिनांक 30.6.03 को कार्रवाई के दौरान तत्कालीन उप महानिरीक्षक पुलिस एवं परिवादी संस्था को भी व्यक्तिगत रूप से सुना गया।

आयोग द्वारा पुनः दिनांक 6.8.03 को इस बाबत जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को व्यक्तिगत रूप से बुलाया, जिस पर वे दोनों आयोग के समक्ष उपस्थित हुये। जिला कलेक्टर ने संपूर्ण जयपुर जिले में नियमों का उल्लघंन कर्ताओं के विरूद्ध की गयी कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा आंकडेवार प्रस्तुत किया गया तथा इस बारे में की जा रही प्रभावी कार्रवाई भी आयोग के सामने विस्तृत रूप से दर्शाई। साथ ही समय समय पर इस बाबत जारी किये गये आदेशों, दिशा निर्देशों, प्रेस विज्ञप्तियों सभी थानाधिकारियों को दिये गये अधिकारों के दस्तावेज भी आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये। जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि जयपुर में निम्न क्षेत्रों को शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया हुआ है–

1. सचिवालय क्षेत्र
2. विधान सभा भवन के चारों ओर का परिक्षेत्र
3. सिविल लाईन परिक्षेत्र
4. रामनिवास बाग के पिछवाडे से जवाहर लाल नेहरू मार्ग मावीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तक की सड़क का क्षेत्र
5. सूचना केन्द्र से एस एम एस अस्पताल के सामने से नारायण सिंह तिराह तक की सड़क का क्षेत्र
6. कलेक्ट्रेट सर्किल, कलेक्ट्रेट से सवाई जयसिंह हाईवे चिंकारा केन्टीन तक की सड़क, श्विमार्ग, बनीपार्क धमार्थ संस्थान सर्किल तक की सड़क, माधोसिंह मार्ग, माधो सिंह सर्किल तक की सड़क, कलेक्ट्रेट सर्किल से खासा कोठी सर्किल तक की सड़क।

7. जल भवन से नाटाणियों का चौराहा वाली सड़क एवं सड़क के दोनों तरफ के परिसर

सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल द्वारा भी उनके स्तर पर की जा रही, इसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई एवं मॉनिटरिंग बाबत विस्तृत रूप से बताया गया।

आयोग के आदेश दिनांक 6.8.03 की प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर को प्रेषित कर जानकारी मॉगी गयी कि सचिव, राज0 राज्य प्रूदषण नियंत्रण मण्डल के सुझावों पर निचले स्तर के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है, साथ ही जन साधारण को शिक्षित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण के लिये प्रशासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं। महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज (प्रथम) से भी उनके द्वारा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मॉगी गयी। महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज (प्रथम) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.9.03 में उक्त अधिनियम के तहत दर्ज किये गये अभियोगों की ऑकडेवार जानकारी आयोग को अवगत कराई गयी। रिपोर्ट के अनुसार उल्लघंनकर्ताओं के उपकरण जैसे माईक, डैक व लाउडस्पीकर आदि भी जब्त किये गये हैं।

सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.12.03 में आयोग को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा स्वयं उनके स्तर पर भी राज्य के विभिन्न शहरों में आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की गयी है तथा दिपावली एवं अन्य पर्वो से पूर्व व पश्चात की स्थिति शहर वाईज की स्टेटस रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।

जिला कलेक्टर, जयपूर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.4.04 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि माननीय आयोग के आदेश दिनांक 6.8.03 की पालना में जन साधारण को शिक्षित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिये प्रशासन द्वारा समय समय पर पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता रहा है तथा ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण रूप से निगरानी रखवाई जा रही है। साथ ही समस्त वृताधिकारियों एवं थानाधिकारियों के संयुक्त प्रयास से नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु आयोग को आश्वस्त किया है।

पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेन्ज (प्रथम) जयपुर द्वारा इस बाबत की गयी कार्रवाइयों की प्रगति रिपोर्ट भी समय समय पर क्रमशः अपने पत्र दिनांक 2.2.05,18.2.05 एवं 5.3.05 द्वारा आयोग को प्रेषित की गयी है।

जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा अपनी ताजा रिपोर्ट दिनांक 21.4.05 में उनके द्वारा शहर के समस्त चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थानों व छात्रावासों तथा विभिन्न क्षेत्रों की विस्तृत कार्रवाई सूचना आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी सार्वजनिक चेतावनी दिनांक 20.7.05 की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई है, जिसमें सर्व साधारण को इसकी जानकारी देते हुये दिन एवं रात के समय ध्वनि प्रसारण की सीमा से भी अवगत कराया गया है। उक्त विज्ञप्ति में

निषिद क्षेत्रों एवं समय की जानकारी देते हुये उल्लघंनकर्ताओं के विरूद्ध की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार से परिवाद में उठाये गये मुद्दों एवं आयोग द्वारा समय समय पर दिये गये आदेशों की पालना में वांछित कार्रवाई संबन्धित विभागों द्वारा की जा रही है।

आयोग भविष्य के लिये भी यही अपेक्षा करता है कि राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल संबन्धित विभाग नियमित रूप से ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु उनके द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार नियमित रूप से करते रहेंगे।

आयोग परिवादी संस्था की वैधानिकता पर न जाकर उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं रिपोर्टस के आधार पर परिवाद का निस्तारण किया जाता है। इस आदेश की प्रति परिवादी संस्था, सभी जिला कलेक्टर, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।

Date: 31.08.2005 **CASE No.00/22/906**

Present :

Hon'ble Mr. Justice N. K. Jain, Chairperson

Hon'ble Member Shri D. S. Meena

We have heard Smt. Rajashree James and perused the material on record.

The complaint filed by Smt. Rajashree James against the then Directror, Arid Forest Research Institute, Jodhpur Shri R. P. Sharma is pending since the year 2000. It was informed to the Commission that the enquiry was conducted against Mr. Sharma by the Committee headed by Dr. (Mrs.) P. Soni, Scientist 'SE', FRI, Dehradun as per order dated 13/2/1998 who has submitted the report to the Director, ICFRE, Dehradun and the same has been forwarded to the Ministry of Environment & Forest, Govt. of India, New Delhi. The Committee, vide order dated 1.3.2005, was asked to submit the report and inform this Commission of the action taken, if any. No reported was submitted to this Commission. Smt. Rajashree James, present in person, has stated that she has not received the report of enquiry forwarded to the Ministry.

Under these circumstances, the Secretary to Government, Ministry of Environment & Forest is requested to submit the report and the result after enquiry, if any, to this Commission. They may also furnish a copy of the same to Smt. Rajashree James so that, if necessary, appropriate action may be taken by her, in accordance with law. It is also submitted by Smt. Rajashree James that a charge-sheet was served to her and no charges were proved against her. Therefore, according to her, it clearly shows that sexual harassment has been made against her as per her complaint. Be that it may be.

The Secretary Ministry of Environment & Forest, Govt. of India, New Delhi is directed to furnish a copy of the Report. Smt. Rajashree James may also be communicated so that appropriate action can be taken by her, if required.

It is also stated by her that in pending criminal case appeal has been admitted. She is free to go with legal proceedings and can approach the Rajasthan High Court Legal Aid Board for proper assistance. It is expected that the Committee will provide all possible assistance to her.

The above direction may be communicated to the parties accordingly.

Put up after two months, on 19th December, 2005

CASE No. 01/17/2081
Date: 24.10.2005

01/31/2216

01/17/1202

01/12/1268

01/17/2116

Present: Mr. Justice N.K. Jain, Hon'ble Chairperson

Mr. D.S. Meena, Hon'ble Member

The necessary facts in brief are that suo moto Cognizance has been taken on the basis of news item published in newspapers pertaining to jeep accidents in the districts resulting to loss of human lives and also persons sustained substantial injuries. **It was reported that about 72 percent of the total light motor vehicle accidents in Jaipur district (Rural) due to public transport jeeps**. It is pointed out that the capacity of the jeep is between 10 to 12 persons but they are overloading persons like goods. There is a demand to stop of immediate illegal use of jeep as public transport vehicle. It is also stated that on National Highways no jeep can ply so no permit should be granted at all.

Department was asked to file comments and reply, CUTS was allowed to assist the Commission. In the meanwhile CUTS also filed a petition in September, 2001 to ban the use of jeep as public transport vehicle. Detailed reply was filed. It was also brought to the notice by filing various paper cuttings that in the year 2000 about 132 people died, 709 got injured in 589 accidents in the district. In the year 2001

up to the day of filing the reply deaths increased to 147 and 780 injured in 709 jeep accidents.

Identical matters were considered by the Commission. On early occasion, considering the practical implication of the petition and also relevant policy measures, and to solve and improve the scenario of the road safety in the State. The Commission discussed with various authorities. The suggestions were considered and there was consciousness on some of the recommendations with a view to improve the road safety. It was thought proper that it is necessary to cancel the permit of jeep owner or overloading, illegal plying of jeep and to enhance the fine 150 to 300 per person for roof sitting and hanging behind the jeep.

It was also desired that the number of staff and resources for mobile van and flying squad to see the rule be implemented with strictly and properly. It was also suggested that some provisions under the Motor Vehicles Act require amendments. Sections 19, 66, 184 and 215 etc. and Rules were also considered so as to achieve the objects of the Act for the betterment of the public at large. The R.T.A. has also filed details showing the accidents, deaths during 1.4.03 to 15.10.03 the number of cases have been challaned of Mini bus, jeep and fine recovered by police, and through courts and also challan for using jeeps for overloading, driving fast, or with carelessness and plying without papers, and also collected fine and cancelled registration.

They have also filed copy of some orders including order dated 22.10.2003 instructing concerning RTO and flying squad for taking necessary action to check and on overloading (more than capacity) cancelled the registration and forward to declare disqualified to have licence in future and the copy of such orders were endorsed to

Mobile Magistrate, S.P. and R.T. A. and other authorities for compliance and for taking necessary action.

Mr. Pawan Arora, RTO Jaipur was and Smt. Satya Priya Singh, S.P. Traffic appeared in person on 21.10.05 and filed respective report and factual position from the period January, 2005 to August, 2005 as per direction of the Commission dated 23rd September, 2005.

We have heard the matter and the parties and perused the material on record and orders were reserved.

It is submitted by Shri Pawan Arora, RTO, Jaipur that the Department with the help of others are taking all possible steps so as to minimize accidents. It is stated that permits of 113 jeeps, which were plying illegally have been cancelled and permits of 15 jeeps, which were plying on over capacity, have been cancelled and permits of 76 mini buses have been cancelled and about 125 challans have been made against Soft Top jeeps which were plying in the National Highways, about 12 FIRs have been lodged against vehicle owners and various instructions have been issued by the Department. It is informed that now the Government has decided not to grant permit for Soft Top jeep vehicle so that there will not be over crowding for want of doors. 'Suburb urban route' have been started, and permits have been issued to mini buses with relaxation in road tax and they have been allowed to ply between 25 to 30 kms. from main city. In this way illegal plying of the jeep were discouraged and in Jaipur for seven routes 120 permits have been granted. It is also stated that rural routes have been identified and in Jaipur 24 route permits have been granted and others are in process. So far as plying of the buses of Stage Carriage permit on National Highways, permission to ply upto 10 kms. is estended upto 15 kms. Bus operators can ply on the route 1/3 instead of 1/5. It is stated that on accident fine of Rs.150/- and

for extra passengers Rs.300/- can be imposed. It is also submitted that Collector, ADM and SDM are authorized to make challan such vehicles, and there is no application is pending by private owners for grant of permit in such routes. It is also stated that due to proper monitoring accidents have been reduced to a great extent.

I.G. (Transport) has also filed detailed report from January to August, 2005. It is also stated that action has been taken in different National Highways under various sections under Motor Vehicle Act, as per report submitted. Smt. Satya Priya Singh, S.P. Traffic, also filed factual position of action taken against mini bus, car, jeep, vikram tempo etc. at National Highway No. 8, 11, & 12 within her jurisdiction. It is stated that all possible steps for monitoring the situation in the in the National Highways have been made.

We have heard the RTO and S.P. Traffic in person and perused the report and relevant material on record. On consideration and on a perusal of the record it reveals that on account of plying of such jeeps with overloading on the various route including National Highways number of accidents have taken place. Inspite of sincere efforts of the Department as stated the fact remain that still deaths are going on on account of such accidents. Provisions in the Motor Vehicles Act are there for taking action for any violation. Directions have also been issued from time to time by the higher authorities. As stated, authorities are taking all possible steps but still it requires more attention and cooperation of all concerned including the traveling public. The accident may be on account of so many reasons including the fact that the citizens are also not performing their duties properly. On account of carelessness and negligence to some extent on the part of owners/drivers, by illegal plying and the authorities are allowing such vehicles to ply with overloading on the road. It has also come on record that High Court in Civil Writ Petition No.1837/03 on 22/10/2003 has also issued interim direction to the Commissioner, Transport Department, but as stated, accident by such vehicles are going on though minimize as

stated. Be that it may be, **in a welfare State, the State is duty bound to provide health and care and to protect everybody's right to life and this Commission is to facilitate the protection of Human Rights. We may also make it clear that we are not exercising parallel jurisdiction but in the circumstances, as stated in the fact situation and without prejudice to any order passed, as stated. It is necessary to issue some directions to the concerned authorities to follow up the action by their joint efforts as per provisions of the Act and circulars strictly, failing which the authorities are free to take appropriate action against concerned person who is in-charge to check the vehicle, as per law. It is also desirable that the authorities should ensure at the initial stage that the jeep should not be overloaded beyond seating capacity and instead of test checking regular checking may be made. The jeeps and transport vehicles passing in front of respective police stations can also be monitored, and also to increase the availability of mini buses on such routes as stated by the RTO. Preference to such jeep owners may be given to those who are coming to obtain permit for mini buses, if otherwise eligible and qualified. Wireless facilities are to be used in discharging their respective duties**

The concerned authorities with the cooperation and coordination of each other should keep regular and constant watch/control and monitor, as per their circulars, Rules and Act, in accordance with law, so as to minimize such accidents further.

In view of what we have stated above the cases are disposed of with above directions. A copy of this order be sent to Principal Secretary, Home, Commissioner, Transport, I.G., Transport and S.P. Traffice, Jaipur for necessary action and compliance. Parties may be informed accordingly. Copy of this order may be kept in each file separately.

दिनांकः 5 सितम्बर, 2005 परिवाद सं. 04/17/1694

खण्डपीठ

न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन, अध्यक्ष

श्री धर्मसिंह मीणा, सदस्य

परिवाद खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवाद का अवलोकन किया गया। परिवादी संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष श्री पूरण सिंह, निवासी अजमेर द्वारा परिवाद के माध यम से अवगत कराया गया कि जी.पी.एफ. खातों में 300 करोड़ की गड़बड़ियां कर कर्मचारियों को 20 से 25 हजार रू. का नुकसान हो रहा है।

यह परिवाद "दैनिक नवज्योति" समाचार पत्र दिनांकः 25-6-04 में छपी खबर के आध ार पर संस्था द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया है।

आयोग द्वारा आदेश दिनांकः 17-7-04 पारित कर संबंधित विभाग से मांगे जाने पर इसकी अनुपालना में उप शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर का पत्र दिनांकः 7-10-04 प्राप्त हुआ। इसके साथ ही निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर का प्रतिवेदन दिनांकः 13-9-04 भी प्राप्त हुआ। जिसमें परिवाद के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की और बताया कि घोषित दर पर बोनस व ऋण पर ब्याज, समयानुसार अंशदान का समय से इन्द्राज किया जाता है। जवाब में यह भी लिखा गया है कि उक्त खातों में किसी भी तरह की गडबडी नहीं है। यदि व्यक्तिगत रूप से किसी भी कर्मचारी के खाते में कोई त्रुटि हो तो वह अपने खाते का अवलोकन कर, अपना पक्ष विभाग को प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त जवाबों की प्रतियां परिवादी संस्था के अध्यक्ष, श्री पूरण सिंह को भिजवाकर विभागीय जवाबदेही का प्रत्युत्तर भिजवाने हेतु एक माह का समय दिया गया।

श्री पूरण सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण मंच, अजमेर के जवाब दिनांकः 28-6-04 एवं 29-11-04 का अवलोकन किया गया। उक्त जवाब के अवलोकन के बाद उक्त संस्था के अध्यक्ष को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उक्त संस्थ/मंच के उद्देश्य, पदीय अधिकारियों के नाम, नियमों की प्रति सहित आयोग के समक्ष दिनांकः 5-9-05 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया।

परिवादी संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण मंच की ओर से श्री पूरण सिंह, अध्यक्ष, श्री समर्थ मल संचेती, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री ज्योति स्वरूप माहेश्वरी, महामंत्री एवं श्री तारा चन्द बडगोती, संगठन सचिव आयोग के समा उपस्थित।